

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सु. नं 17/17 तारीख रजु 26/17

उपनाम :- भगवानी देवी बनाम रघुनाथ को  
शजर घणी सेनपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से देवेन्द्र कुमार शर्मा A.O. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 सि. एच के तहत पेश किया। प्रस्तुत जमा बन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रिजिस्टर कर अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 17.5.17 को पेश हो।


1351-57

26.5.17

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

17.5.17

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 का 6 के पक्षिए सदस्य ने नोटिस लेने से इन्कार की रिपोर्ट तामील करने के कार्रमिक ने की है। अप्रार्थी नं. 7 का वजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 का 6 भी उपस्थित नहीं हुए हैं। इनकी तामील मानी जाती है तथा अप्रार्थी गण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी वकील ने अप्रार्थी गण के वजूद सूचना उपस्थित नहीं लेने से सीधे कहस करने का कथन किया। प्रार्थी वकील की कहस सुनी गई। कहस सुनकर उकरण का अवलोकन किया गया। संक्षेप में उकरण इस



उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर रोडा

दिनांक

फर्द अहकाम

प्रकार है। सायलान भगवानी देवी एवं लखनवाड़ी  
 ने प्रार्थना पत्र अस्थाची निषेधाज्ञा इस प्रकार  
 प्रस्तुत किया है कि ग्राम कमालपुरा की भूमि रज  
 नं. 2477 रकबा 1.90 हे० एवं 2479 रकबा 0.50 हे०  
 कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 हे० में सायलानं. 1 भग  
 वानी देवी व सायलानं. 2 लखनवाड़ी का 1/3-1/3 हिस्सा  
 दर्ज रिकार्ड है तथा गैरसायलानं. 1 रघुनाथ का हिस्सा  
 1/3 के स्वतेदार काश्तकार है। उक्त आराजीप्रात की  
 स्वतेदारी पूर्व में कजोड, रामसिंह पि. किशन्य हि०  
 तथा राजाराम, जनक, हरिसिंह पि. रामजीलाल, कमाणी  
 पुत्री रामजीलाल, धीही पत्नी रामजीलाल के पास  
 थी। उक्त स्वतेदारान द्वारा सायलाना एवं गैरसायलान  
 नं. 1 को उक्त आराजी का बेचान कर कब्जा करा  
 दिया। उक्त आराजी रास्ते के सहारे खड़ी हिस्से  
 में बटी हुई है। जिसमें तीनो स्वतेदारान रास्ते  
 का उपयोग उपभोग कर सके तथा सायलानं. 1 -  
 भगवानी देवी के हिस्से में दक्षिण का हिस्सा है।  
 गैरसायलानं. 2 ता 6, रघुनाथ, रमेश, गिरधारी,  
 रामकेश, यादराम, संतोष लठैत एवं मुहमद रथसिंह  
 है जो गैरसायलान रघुनाथ के 1/3 हिस्से की स्वतेदारी  
 का बिजा फायदा उठाकर सायलाना को अपनी आराजी  
 से बेदावत कलना चाहते हैं। जबकि उन्हें 1/3 हिस्से  
 की आराजी के अलावा अन्य आराजी से कोई संबंध  
 किसी प्रकार का नहीं है। वृत्त दिनांक 21.4.2017 का

उप जिला कलेक्टर  
 रोडाभीम


# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


है कि गैरसायलान एकराय होका ड्रोली में पत्थर लादका लोये क्षौर आराजी के बीचों बीच पाठोर डालने लगे। सायलान द्वारा मना कौने पर भी नही माने तथा कहने लगे कि ना तो हम बैखारा करायेगे नाहि तुम्हें काश्त कौने देगे। इस कारण दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत काना आवश्यक हुआ है। अतः गैरसायलान को गुम कर्मालय की भूमि ख.नं. 2477, 2479, मे प्रार्थीगण के हिस्से के कृषि काश्त में मजामहत मदाबलत नही कौने हेतु पाबंद कौं।

प्रार्थी वकील ने इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया। तथा गैरसायलान बाबजूद सूचना उप. नही हुए नाहि उन्होने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2071-2074 आराजी ख.नं. 2477, 2479 रकबा 2.40 है. मे सायलान. 1 शगवानी देकी का 1/3 हिस्सा तथा सायलान नं. 2 लखनबाई का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। 1/3 हिस्सा गैरसायलान. 1 रघुनाथ का है। मूल दावा तथा समाप्ता पेश किया है। दावा के निस्तारण होने तक गैरसायलान को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनोये रखने के लिए पाबंद किया जाता उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान स्वीकार किया जाता है तथा दावा के निर्णय होने तक गैरसायलान रघुनाथ शंकराधर रामेश, गिरधारी, रामकेश यादराम पि. रघुनाथ व संतोष पुत्र रामधरम जाति गूर्ज निवासीयान गणो

  
उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (कसौली)

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>सेनपुर तहसील चोडाभीम को पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कमालपुरा की श्रीमि सपसरा नम्बर 2479 रकबा 1.90 है, 2479 रकबा 0.50 है कुल रकबा 2.40 है में रिजिस्ट्रि एवं मोकदमी यथास्थिति बनाये रखें। आराजी को नाकाकिल काशत नही बनोवे। सायलान को बेदावलनही को। निर्णयकी प्रति तहसीलदा चोडाभीम को रिजिस्ट्रि जावे। पत्रावली फेसल शुमा हाका नम्बर सि कम हाका दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 17.5.17 को लिखा जाका खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               (जगदीश आर्य)              उप जिला कलेक्टर              चोडाभीम (करोली)           </div>

